

संशोधित नियमावली

- (1) संस्था का नाम :: गयावती शिक्षण संस्थान।
- (2) संस्था का पता :: ग्राम पौथेपुरवा पोस्ट-ओदरा पचलाई जिला हरदोई।
- (3) संस्था का कार्यक्षेत्रः सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
- (4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः

सदस्यता ::

इसमें वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों में आरथा रखते हों। सदस्यता हेतु प्रबन्धक / मंत्री की अनुमति आवश्यक होगी।

आजीवन सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रूपया 2100/ नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 151/ वार्षिक सदस्यता प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

विशिष्ट सदस्य ::

समाज के प्रतिष्ठित, सुशिक्षित एवं गणमान्य व्यक्ति जैसे विधायक, सांसद, कलाकार शिक्षाविद् एवं अन्य प्रतिष्ठित व समाजसेवी व्यक्तियों को प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन से संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत किया जा सकता है, इनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की समाप्ति::

- 1- मृत्यु हो जाने पर।
- 2- पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- 3- संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
- 4- किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- 5- बिना सूचना दिये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहने पर।
- 6- त्याग-पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
- 7- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।

(6) संस्था के अंग ::

- (अ) साधारण सभा।
- (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा ::

गठन ::

संस्था के आजीवन सदस्यों, सामान्य सदस्यों एवं विशिष्ट सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें::

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सत्याप्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फन्स संसाधनी तथा गिरदार
लखनऊ

सूचना अवधि :

साधारण सभा की सामान्य वैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष वैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायगी।

गणपूर्ति ::

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से $\frac{2}{3}$ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::

- 1—प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
 - 2—संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
 - 3—संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
 - 4—संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन :-

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें—अध्यक्ष—एक, उपाध्यक्ष—एक, प्रबन्धक / मंत्री—एक, उपप्रबन्धक / उपमंत्री—एक, कोषाध्यक्ष—एक तथा अन्य दो सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाकर 11 तक की जा सकती है।

बैठकें ..

प्रबन्धकारिणी समिति को सामान्य बैठक साल में चार बार विशेष बैठक कर्मी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।



सूचना अवधि

साधारण सभा की सामान्य बैठक
03 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों में से $\frac{2}{3}$ सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत जब कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के $\frac{2}{3}$ सदस्यों के बहुमत से शेष काल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

- 1-संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2-संस्था की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयार करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कंपनी का दिप्ती रजिस्ट्रार
फार्म एवं अन्य वस्तु विद्युत

१५-६-०६ (म) लखनऊ

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

3-उददेश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रथानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतेष्ठानों, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नावार्ड, सिड्वी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सेंफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, आक्सफाम इण्डिया, सूडा, दूडां, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, केयर, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ०प्र०, अधिकल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, उ० प्र०/केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, स्थिला कल्याण मंत्रालय, अल्प संख्यक विभाग/बोर्ड उ०प्र०, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउण्डेशन, पिछडा वर्ग कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग उ० प्र०, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, सांसद निधि, विधायक निधि तथा अन्य स्रोतों स्रोतों से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

4-संस्था की शाखाओं एवं उप समितियों का गठन करना, उन पर नियंत्रण रखना।

5-संस्था के लिए चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

कार्यकाल ::

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच साल का होगा।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

- 1-समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2-बैठकों के लिए तिथि निर्धारित करना स्थगित करना एवं निरस्त करना।
- 3-समान मत होने पर निर्णयिक मत देना।
- 4-बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
- 5-संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना एवं उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

प्रबन्धक / मंत्री

- 1-संस्था के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- 2-प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- 3-पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
- 4-राजकीय सहायता, अनुदान, ऋण प्राप्त करना।
- 5-संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय करना तथा उसकी देखरेख, सुरक्षा एवं नियंत्रण रखना।
- 6-सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।
- 7-वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति वेतन बृद्धि निलम्बन व बहाली करना।
- 8-समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।

सत्य प्रतिलिपि

सदान सहायक
वर्षांगालूर डिस्ट्री रजिस्ट्रार
कैल्पनिक विद्या विद्या

- 9—संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
- 10—संस्था से सम्बन्धित रामरत विल व वाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, संविदा, आहरण पत्रों, नियुक्ति पत्रों, लेखों—विलेखों, बन्धक पत्रों, ऋण पत्रों, डिमान्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
- 11—संस्था की ओर से आदालती कार्यवाही करना।
- 12—संस्था की ओर से रामरत पत्र व्यवहार करना।
- 13—संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
- 14—बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
- 15—बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
- 16—संस्था के प्रबन्धक/मंत्री का पद आजीवन होगा उनके न रहने पर उनका उत्तराधिकारी प्रबन्धक/मंत्री पद पर आसीन होगा।
- 17—संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

उपप्रबन्धक / उपमंत्री

प्रबन्धक/मंत्री की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का निर्वहन करना व उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष ::

- 1—आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
- 2—दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।
- 3—प्रबन्धक/मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
- 4—संस्था की विकास हेतु अन्य कार्य करना।

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायेगा।

(11) संस्था का कोष ::

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/सहकारी बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक/मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

(12) संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ::

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/मंत्री पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर होगा।

*Chintan
Rajesh
Dinesh*

सत्य प्रतिलिपि
प्रभान सहायक
कार्यालय हिन्दी एनिस्ट्रार
फर्म सोसाइटी नियम विद्या
कृष्ण अच्छ लखनऊ

(14) संस्था के अभिलेख ::

- 1-रादरयता रजिस्टर
- 2-कार्यवाही रजिस्टर
- 3-स्टाक रजिस्टर
- 4-कैश बुक आदि

(15) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निरस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :

हस्ताक्षर :

1. B. Singh

2. C. S. Singh

3- Daniel

4- B. Singh



सत्य (प्रतिलिपि)

प्रधान राहायक
कार्यालय हिन्दी रजिस्ट्रर
फर्म सोसाइटीज तथा विद्युत
विभाग मुख्यमंत्री सरकार

१५ अगस्त १९८०